



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257562
CG-DL-E-27092024-257562

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3886]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946

No. 3886]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

का.आ. 4244(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4269 तारीख 29/09/2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कोजहिकोडे जिले में NH66 के कि.मी. 188 से कि.मी. 230.4 (ऑफिस ऑफ़ द स्पेशल डिप्टी कलेक्टर (एल ए) एनएच, कोजहिकोडे, सिविल स्टेशन पी ओ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "03.11.2023 " को "मातृभूमि " और "द हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केरल राज्य के कोजहिकोडे जिले में NH66 के कि.मी. 188 से कि.मी. 230.4 (ऑफिस ऑफ़ द स्पेशल डिप्टी कलेक्टर (एल ए) एनएच , कोजहिकोडे, सिविल स्टेशन पी ओ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: केरल			जिले का नाम: कोजहिकोडे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कोयीलंडी					
गांव का नाम: इरिंगल (इरिंगल)					
1	117/21	निजी	ड्राय	0.0052	श्रीधरन न्यू रि-सर्वे No. 57/24(न्यू सब डिवीज़न न.. 57/45)
2	117/22ए	निजी	ड्राय	0.0033	श्रीधरन, विजयन न्यू रि-सर्वे No. 57/27(न्यू सब डिवीज़न न.. 57/46)
3	118/11ए	निजी	ड्राय	0.0054	मोहियुद्दीन जुमा मस्जिद न्यू रि-सर्वे No. 56/4(न्यू सब डिवीज़न न.. 56/4)
4	123/1	निजी	ड्राय	0.0017	मोइडू हाजी रि-सर्वे No. 178/1(न्यू सब डिवीज़न न.. 178/1)

5	123/1	निजी	ड्राय	0.0056	अयिशा न्यू रि-सर्वे No.178/30(न्यू सब डिवीज़न न.. 178/44)
गांव का नाम: इरिंगल (अयानिकुड)					
6	45/10ए	निजी	ड्राय	0.0005	फुटपाथ न्यू रि-सर्वे No. 94/29(न्यू सब डिवीज़न न..94/92)
7	45/10ए	निजी	ड्राय	0.0027	अब्दुल्ला न्यू रि-सर्वे No. 94/49(न्यू सब डिवीज़न न..94/94)
8	45/10ए	निजी	ड्राय	0.0004	रसाक न्यू रि-सर्वे No. 94/57(न्यू सब डिवीज़न न..94/97)
9	45/10ए	निजी	ड्राय	0.0001	फुटपाथ न्यू रि-सर्वे No. 94/52(न्यू सब डिवीज़न न..94/96)
10	45/7ए	निजी	ड्राय	0.0056	फतिमा स्कूल पेरूली न्यू रि-सर्वे No. 94/7(न्यू सब डिवीज़न न.. 94/88)
11	45/7ए	निजी	ड्राय	0.0003	फुटपाथ न्यू रि-सर्वे No. 94/48(न्यू सब डिवीज़न न..94/93)
12	45/7ए	निजी	ड्राय	0.0008	इंडियन नेशनल कांग्रेस आफिस न्यू रि-सर्वे No. 94/24(न्यू सब डिवीज़न न..94/89)
13	45/7ए	निजी	ड्राय	0.0017	बिनोद न्यू रि-सर्वे No. 94/50(न्यू सब

					डिवीज़न न..94/95)
14	45/7ए	निजी	ड्राय	0.0018	शिमना न्यू रि-सर्वे No. 94/25(न्यू सब डिवीज़न न.. 94/90)
15	45/9ए	निजी	ड्राय	0.0048	पाठमावती न्यू रि-सर्वे No. 94/26(न्यू सब डिवीज़न न..94/91)
16	46/18ए	निजी	ड्राय	0.0007	उपपत्ति अम्मा न्यू रि-सर्वे No. 118/26(न्यू सब डिवीज़न न..118/51)
17	46/18ए	निजी	ड्राय	0.002	अब्दुल लतीफ न्यू रि-सर्वे No. 118/27(न्यू सब डिवीज़न न..118/52)
Total				0.0426	

[फा. सं. NHAI/11018/LA/PIU-Kozhikode/Amended/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2024

S.O. 4244(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4269 Dated:29/09/2023**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH66 in the stretch of land from Km. 188 to Km. 230.4 (O/o The Special Deputy Collector (LA) NH, Kozhikode, Civil Station P O) in the district of KOZHIKODE in the state of KERALA

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Mathrubhumi*” and “*The Hindu*” both dated 03.11.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH66 in the stretch of land from Km. 188 to Km. 230.4 (O/o The Special Deputy Collector (LA) NH , Kozhikode, Civil Station P O) in the district of KOZHIKODE in the state of KERALA

State: KERALA			District: KOZHIKODE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Koyilandi					
Village: Iringal (Iringal)					
1	117/21	Private	Dry	0.0052	Sreedharan New Re-Survey No. 57/24(New Sub Division No. 57/45)
2	117/22A	Private	Dry	0.0033	Sreedharan, Vijayan New Re-Survey No. 57/27(New Sub Division No. 57/46)
3	118/11A	Private	Dry	0.0054	Mohiyudeen Juma Masjid New Re-Survey No. 56/4(New Sub Division No. 56/4)
4	123/1	Private	Dry	0.0017	Moidu Haji Re Survey No. 178/1(New Sub Division No. 178/1)
5	123/1	Private	Dry	0.0056	Ayisha New Re-Survey No.178/30(New Sub Division No. 178/44)
Village: Iringal (Ayanikkad)					
6	45/10A	Private	Dry	0.0005	Footpath New Re-Survey No. 94/29(New Sub Division No.94/92)
7	45/10A	Private	Dry	0.0027	Abdulla New Re-Survey No. 94/49(New Sub Division No.94/94)
8	45/10A	Private	Dry	0.0004	Rasaq New Re-Survey No. 94/57(New Sub Division No.94/97)
9	45/10A	Private	Dry	0.0001	Footpath New Re-Survey No. 94/52(New Sub Division No.94/96)
10	45/7A	Private	Dry	0.0056	Fathima School Perooli New Re-Survey No. 94/7(New Sub Division No. 94/88)

11	45/7A	Private	Dry	0.0003	Footpath New Re-Survey No. 94/48(New Sub Division No.94/93)
12	45/7A	Private	Dry	0.0008	Indian National Congress Office New Re-Survey No. 94/24(New Sub Division No.94/89)
13	45/7A	Private	Dry	0.0017	Vinod New Re-Survey No. 94/50(New Sub Division No.94/95)
14	45/7A	Private	Dry	0.0018	Shimna New Re-Survey No. 94/25(New Sub Division No. 94/90)
15	45/9A	Private	Dry	0.0048	Pathmavathi New Re-Survey No. 94/26(New Sub Division No.94/91)
16	46/18A	Private	Dry	0.0007	Uppatti Amma New Re-Survey No. 118/26(New Sub Division No.118/51)
17	46/18A	Private	Dry	0.002	Abdul Latheef New Re-Survey No. 118/27(New Sub Division No.118/52)
Total				0.0426	

[F. No. NHAI/11018/LA/PIU-Kozhikode/Amended/3D]

ABHAY JAIN, Director